REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

भारत में तेहरा तलाक : एक आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ. राजकुमार
सहायक आचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0)

सारांश

तेहरा तलाक (Triple Talaq) विश्व के अधिकाँश देशों में समाप्त हो चुका है। भारत में 2017 में, शायरा बानो के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया गया। किन्तु, सरकार द्वारा इसे अपराध घोषित करने के प्रयास ने इस सन्दर्भ में विवाद उत्पन्न कर दिया। इस विषय के विभिन्न पहलुओं का इस शोध पत्र में आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

तलाक के प्रकार

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पति द्वारा विवाह–विच्छेद के लिए प्रयोग किये जाने वाले तरीकों में तलाक एक तरीका है। इला एवं जिहार पति द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अन्य तरीके हैं।

तलाक तीन प्रकार का होता है– अहसन, हसन एवं तेहरा तलाक या तीन उद्घोषणाओं वाला तलाक।

अहसन

अहसन सर्वाधिक मान्य तरीका (Most Approved Form) है क्योंकि तलाक के इस तरीके को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगम्बर मोहम्मद द्वारा मान्यता प्राप्त थी। अहसन द्वारा तलाक के अन्तर्गत पति द्वारा तुहर की अवधि में तलाक की उद्घोषणा किये जाने पर पत्नी का पति से तलाक अर्थात् विवाह–विच्छेद हो जाता है जो इद्दत की अवधि से प्रभावी होता है। तुहर की अवधि एवं इद्दत की अवधि में पति एवं पत्नी के बीच लैंगिक सम्भोग नहीं होना चाहिए।[1]

तुहर की अवधि (इसे शुद्धता की अवधि भी कहते हैं) वह अवधि है जब पत्नी अपने मासिक धर्म से निवृत्त होती है तथा इद्दत की अवधि प्रारम्भ की अवधि है जिसके दौरान तलाकशुदा पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। इद्दत की अवधि तलाक के उद्घोषणा की तारीख से तीन माह की होती है।किन्तु, यदि पत्नी गर्भवती हो तो इद्दत की अवधि सन्तान की उत्पत्ति तक होती है।[2]

यदि पति–पत्नी लम्बे समय से एक–दूसरे से अलग रह रहे हों या पत्नी का मासिक धर्म ज्यादा आयु होने के कारण बन्द हो चुका हो तो तुहर की अवधि में तलाक की उद्घोषणा आवश्यक नहीं है। यह किसी भी समय की जा सकती है।[3]

अहसन तरीके द्वारा तलाक के अन्तर्गत इद्दत की अवधि की समाप्ति के साथ ही तलाक प्रभावी हो जाता है। किन्तु, इद्दत की अवधि के अन्तर्गत तलाक को वापस लिया जा सकता है। इसलिए इसे

[1]असफ ए.ए. फैजी, आउट लाइन्स ऑफ मुहम्मडन लॉ पाँचवां संस्करण 2008, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पृष्ठ 1.
[2]*तत्रैव.*
[3]*तत्रैव.*

प्रतिसंहरणीय तलाक कहा जाता है।प्रतिसंहरण स्पष्ट शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा (दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करके) हो सकता है।[4]

हसन

हसन अहसन की तुलना में कम मान्य तरीका (Less Approved Form) है। हसन तरीके के तलाक के अन्तर्गत पति को तीन क्रमिक तुहरों की अवधि में क्रमशः तीन बार तलाक की उद्घोषणा करनी होती है। किन्तु, किसी तुहर की अवधि में लैंगिक सम्भोग नहीं होना चाहिए। पहले एवं दूसरे तुहर की अवधि में की गयी उद्घोषणा वापस ली जा सकती है। किन्तु, तीसरे तुहर की अवधि में की गयी उद्घोषणा वापस नहीं हो सकती है तथा तलाक प्रभावी हो जाता है। इद्दत की अवधि तीसरी उद्घोषणा की तारीख से आरम्भ होती है।[5]

तेहरा तलाक

तेहरा तलाक(Triple Talaq) को तीन उद्घोषणाओं वाला तलाक(Talaq by Three Pronouncements) या तलाक–अल–बिदा(Talaq-al-Bida)या तलाक–उल–बिद्दत (Talaq-ul-Biddat)तलाक–ए–बिद्दत(Talaq-e-Biddat)भी कहा जाता हैं। इसे तलाक का अमान्य तरीका कहते हैं क्योंकि इसे पैगम्बर मोहम्मद द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है। इस तरीके के तलाक के अन्तर्गत एक ही तुहर की अवधि में तलाक की तीन उद्घोषणायें की जाती हैं तथा तलाक की उद्घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाता है। इसमें तलाक की उद्घोषणा या तो एक वाक्य में की जाती है जैसे– "मैं तुम्हें तीन बार तलाक देता हूँ", या तीन अलग–अलग वाक्यों में जैसे– "मैं तुम्हें तलाक देता हूँ,मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।"[6]

यह 'तलाक' तलाक की उद्घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाता है तथा इसका प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है। इसलिए यह तलाक अप्रतिसंहरणीय तलाक (Irrevocable Talaq) कहा जाता है।[7]

तेहरा तलाक को केवल सुन्नी सम्प्रदाय के हनाफी उप–सम्प्रदाय में मान्यता प्राप्त है। शिया सम्प्रदाय में नहीं। हनाफी उप–सम्प्रदाय में भी इसे वैध किन्तु पापपूर्ण माना गया है।[8]

सार्वभौम स्थिति(Global Position)

अल्जीरिया, इजीप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन आदि अरब देशों; इण्डोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपीन्स आदि दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों एवं पाकिस्तान तथा बांग्लादेश आदि उप–महाद्वीपीय देशों ने विधि बनाकर तेहरा तलाक को समाप्त कर दिया है।[9]

न्यायालय का अभिमत

शमीम आरा बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*[10] में उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या तेहरा तलाक द्वारा विवाह–विच्छेद ऐसे प्रतिवाद पत्र (Written Statement) के दाखिल किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा जिसमें तलाक के उद्घोषणा का तर्क (Plea) लिया गया हो?[11] उच्चतम न्यायालय की एक दो सदस्यीय पीठ ने इस सन्दर्भ में धारित किया कि प्रतिवाद पत्र में पूर्व विवाह–विच्छेद का लिया गया तर्क

---

[4] *तत्रैव.*
[5] *तत्रैव,* पृष्ठ 121–122.
[6] *तत्रैव,* पृष्ठ 122.
[7] *तत्रैव.*
[8] *तत्रैव.*
[9] *शायरा बानो* बनाम *भारत संघ,* उच्चतम न्यायालय, 22 अगस्त 2017, https://www.livelaw.in/ पर उपलब्ध, मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर का निर्णय, पैरा 28.
[10] उच्चतम न्यायालय, 1 अक्टूबर 2002; (2002) 7 SCC 518.
[11] *तत्रैव,* पैरा 3 एवं 6.

प्रतिवाद पत्र दाखिल करने की तारीख पर तलाक की उद्घोषणा नहीं माना जा सकता है। एक वैध तलाक के लिए तलाक की उद्घोषणा होनी चाहिए।[12]

इसके साथ न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि एक वैध तलाक के लिए तलाक का तर्कसंगत कारण एवं पति–पत्नी के बीच समझौते का प्रयास आवश्यक है।[13]

स्पष्ट है कि शमीम आरा के वाद में तेहरा तलाक की वैधता का प्रश्न न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन नहीं था।

तेहरा तलाक की वैधता का प्रश्न सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के सम्मुख *शायरा बानो* बनाम *भारत संघ*[14] के वाद में उठा। इस वाद में, उच्चतम न्यायालय की एक पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तेहरा तलाक को अवैध घोषित कर दिया।[15]

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, रोहिंगटन फली नरीमन एवं उदय उमेश ललित ने बहुमत का तथा मुख्य न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर एवं न्यायमूर्ति एस० अब्दुल नजीर ने अल्पमत का निर्णय दिया।

न्यायमूर्ति नरीमन स्वयं अपना एवं न्यायमूर्ति ललित की ओर से निर्णय देते हुए तेहरा तलाक को इस आधार पर अवैध घोषित किया कि इसके अन्तर्गत मुस्लिम व्यक्ति द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध को बचाने के लिए समझौते के किसी प्रयास के बिना वैवाहिक सम्बन्ध को मनमाने ढंग से तोड़ दिया जाता है जो कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 में प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लँघनकारी है।[16]

न्यायमूर्ति कुरियन ने न्यायमूर्ति नरीमन के अभिमत से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इस आधार पर तेहरा तलाक को अवैध घोषित किया कि जो बात पवित्र कुरान में बुरी मानी गयी है वह बात शरियत (मुस्लिम विधि) में अच्छी नहीं हो सकती है।[17]

मुख्य न्यायमूर्ति केहर स्वयं अपने एवं न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की ओर से दिये गये निर्णय में तेहरा तलाक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत संरक्षित मानते हुए इसे सांविधानिक घोषित किया तथा अपने अभिमत को इस आधार पर उचित ठहराया कि तेहरा तलाक हनाफी विधि से जुड़े सुन्नी मुसलमानों की वैयक्तिक विधि का एक विषय है। यह उनकी आस्था (Faith) का विषय है जो कम से कम 1400 वर्षों से माना जा रहा है। इस प्रकार, वैयक्तिक विधि के एक घटक के रूप में तेहरा तलाक का अभ्यास अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत संरक्षित है।[18]

मुख्य न्यायमूर्ति केहर के अभिमत से न्यायमूर्ति कुरियन ने इस आधार पर असहमति व्यक्त की कि यदि कोई अभ्यास स्पष्ट रूप से अनुचित घोषित हो तो वह केवल इस आधार पर वैध नहीं हो जाता है कि वह एक लम्बे समय तक जारी रहा है।[19]

सरकार द्वारा उठाया गया कदम

शायरा बानो के वाद के निर्णय के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने तेहरा तलाक को अपराध घोषित करने के लिए "मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 लाई जिसके अन्तर्गत तेहरा तलाक को तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय, असंज्ञेय एवं गैर–जमानतीय अपराध बनाया गया।[20] विधेयक के उद्देश्य खण्ड के अनुसार इस विधेयक को इसलिए प्रस्तावित किया गया क्योंकि, शायरा बानो वाद के निर्णय के पश्चात् यह पाया गया कि तेहरा तलाक के तरीके से होने वाले विवाह–विच्छेद के मामलों की संख्या को कम करने में तेहरा तलाक का अवैध घोषित किया जाना कोई भय का काम नहीं किया तथा राज्य द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता है।

[12] *तत्रैव,* पैरा 16.
[13] *तत्रैव,* पैरा 15.
[14] उच्चतम न्यायालय, 22 अगस्त 2017, https://www.livelaw.in/ पर उपलब्ध.
[15] *तत्रैव,* न्यायालय का आदेश.
[16] *तत्रैव,* न्यायमूर्ति नरीमन का निर्णय, पैरा 57.
[17] *तत्रैव,* न्यायमूर्ति कुरियन का निर्णय, पैरा 5 एवं 26.
[18] *तत्रैव,* मुख्य न्यायमूर्ति केहर का निर्णय, पैरा 192.
[19] *तत्रैव,* न्यायमूर्ति कुरियन का निर्णय, पैरा 24.
[20] विधेयक की धारा 4 एवं 7.

लोक सभा में पास यह विधेयक जब राज्य सभा में पास न हो पाने के कारण समाप्त हो गया तो 19 सितम्बर 2018 को "मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2018" जारी किया गया[21] तथा एक वर्ष की अवधि के दौरान तीन बार यह अध्यादेश जारी हुआ।[22] सरकार ने अध्यादेश का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि विधेयक राज्य सभा में पास नहीं हो सका।[23]

समीक्षा एवं सुझाव

सरकार द्वारा तेहरा तलाक को अपराध घोषित करने के लिए उठाये गये कदम की बुद्धिजीवी वर्ग में घोर आलोचना हुई। सरकार द्वारा उठाये गये कदम की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है–

1. शायरा बानो के वाद में तेहरा तलाक को अवैध घोषित किया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि है। इसलिए इस निर्णय का प्रभाव यह है कि अब तेहरा तलाक विवाह का विघटन नहीं करता है। अतः इसे अपराध घोषित करने के लिए प्रस्तावित विधायन विधि की निगाह में अस्तित्व में ही नहीं है।
2. चूँकि विवाह का विघटन न करने के कारण अब तेहरा तलाक पत्नी या समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए राज्य का कोई हित बुरी तरह प्रभावित न होने के कारण राज्य द्वारा कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है।
3. यह विश्वास कि यदि किसी गलत काम को अपराध घोषित कर दिया जाय तो लोग उस काम को करने से डरेंगे, भ्रामक एवं अतार्किक है क्योंकि यह बात किसी प्रामाणिक शोध द्वारा सिद्ध नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि शायरा बानो के वाद में तेहरा तलाक को अवैध घोषित कर दिये जाने के बाद सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में विधि बनाने का प्रयास औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि घोषित हो गयी है। सरकार द्वारा प्रस्तावित विधि किसी लोकहित की पूर्ति करने के बजाय अवांछनीय परिणामों को जन्म दे सकती है।

उपरोक्त विवेचना इस बात की ओर भी संकेत करती है कि सरकार का कदम राजनीतिक हित से प्रेरित हो सकता है। अतः लोकहित की दृष्टि में इस विषय पर अब किसी विधायन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आवश्यकता केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सशक्त प्रवर्तन की है।

डॉ. राजकुमार
सहायक आचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0)

[21] *द हिन्दू*, 20 सितम्बर 2018 मुख्य पृष्ठ.
[22] *द हिन्दू*, 20 फरवरी 2019 मुख्य पृष्ठ.
[23] *तत्रैव.*